



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 01.02.2025

थाना कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 219/24 धारा 108/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.10.24 को कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/24 धारा 108/61(2) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्ता को दिनांक 01.02.25 को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण:- – वादी श्री सुनील कुमार पुत्र तिलक नि0 ताहपुर थाना तालग्राम जनपद द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश 173(4) बीएनएसएस से थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण द्वारा मिलकर वादी के भाई विकास कुमार को सुलह के बहाने बुलाकर हत्या कर फांसी के फंदे पर लटका देने के सम्बन्ध में दिनांक 18.10.2024 को मु0अ0सं0 219/24 धारा 103/238/61(2) बीएनएस में कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद पर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 103/238 बीएनएस का लोप किया गया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 108 बीएनएस का होना पाये जाने के आधार पर

धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी कि गयी। वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने अपनी सफाई माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से देना बताया।

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 219/24 धारा 108/61(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

- 1- अ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह
- 2- का0 सिंधू
- 3- म0का0 संध्या

मीडिया सेल फतेहगढ़।